(2)

दिनांक	टी०ए० मिस केस सं० 04/2019-20 आदेश
09/01/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री मोरा सुन्डी, पिता– स्व0 साऊ सुन्डी,** ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **नरसन्डा, थाना– 649,** खाता नं०– **31,** प्लॉट नं०– **4688,** रक्वा– **0.07 एकड़** भूमि क्रेता **श्री गंगा किस्पोटा, पिता– श्री सोहराई किस्पोटा,** ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के फूफू के नाम पर खतियान में दर्ज है फूफू का नि:संतान मृत्यु हो चुका है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **521**,दिनांक–. **30.07.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री गंगा किस्पोटा, पिता– श्री सोहराई किस्पोटा,** ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास **4,59,900.00/–(चार लाख उनसठ हजार नौ सौ) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **श्री मोरा सुन्डी, पिता–स्व0 साऊ सुन्डी,** ग्राम– **नरसन्डा,** क्रेता **श्री गंगा किस्पोटा, पिता– श्री सोहराई किस्पोटा,** ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास 4,59,900.00/–(चार लाख उनसठ हजार नौ सौ) रूपये मे मौजा– **नरसन्डा, थाना–** 649, खाता नं०–31 प्लॉट नं०– 4688, रक्वा– 0.07 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति...... दी जाती है। लेखापित। [signature] 9/1 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 9/1/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner